कार्यालय :– प्रभाराधिकारी अभिलेखागार जिला एवं सेशन न्यायालय चित्तौड़गढ़

क्रमांक / रेकार्ड शाखा / 2025 / 175 **दिनांक** 4-3-25

–:: निविदा ::–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अभिलेखागार चित्तौड़गढ़ में तलफ शुदा (नष्ट की गई) पत्रावलियों की रद्दी करीब 08–10 क्विटंल है, जो उच्च दर पर बेची जानी हैं। अतः इच्छुक खरीददार अपनी निविदा बन्द लिफाफे में दिनांक 17-3-25 को समय 10 A.M. बजे प्रभाराधिकारी शाखा अभिलेखागार विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) चित्तौड़गढ़ में पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश करें जिनकों दिनांक 17-3-25 को समय 10 A.M. बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा। नियमानुसार अधिक राशि बनने वाली फर्म को दिनांक 17-3-25 को समय 10 A.M. बजे पर रद्दी को बेचे जाने की कार्यवाही की जाएगी।

–: टेण्डर की कार्यवाही की निम्न शर्ते होगी :–

1. निविदा खुलने वाले क्रेता को 1000/– रूपये अमानत राशि के रूप में इस कार्यालय में जमा कराने होंगे। उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति द्वारा रद्दी यथा समय प्राप्त नहीं करने पर जमाशुदा राशि जब्त कर ली जाएगी।
2. खरीददार को रद्दी अभिलेखागार चित्तौड़गढत्र के गोदाम से निकलने से लेकर उसकी भराई, ढुलाई, लदान आदि की मजदूरी का समस्त व्यय स्वयं ही वहन करना होगा।
3. प्रभाराधिकारी टेण्ड़र को यह अधिकार होगा कि कम राशि का टेण्ड़र प्राप्त होने पर बिना कोई कारण बताए टेण्डर प्रक्रिया को रद्द कर सकता हैं।
4. किसी विवाद की स्थिति में प्रभाराधिकारी रिकार्ड शाखा चित्तौड़गढ़ का निर्णय अन्तिम होगा।
5. खरीददार को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह रद्दी का उपयोग लुगदी बनाने के लिए ही करेगा। खरीददार को इस बात की आश्वस्ति का भी प्रमाण पत्र देना होगा कि वह भराई, लदान व परिवहन के समय रद्दी को ढककर व बोरों में भरकर पूर्णतया सुरक्षित रूप से उसके संग्राहक/संधारण/उपचारस्थल पर ले जाएगा, जिसमें कि न्यायिक अभिलेखों के अशं इधर–उधर बिखरने से बचा सकें।

प्रभाराधिकारी अभिलेखागार
जिला एवं सेशन न्यायालय चित्तौड़गढ़

क्रमांक / रेकार्ड शाखा / 2025 / 175 से 178 **दिनांक** 4-3-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. न्यायालय हाजा नोटिस बोर्ड पर।
2. जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के नोटिस बोर्ड पर।
3. सार्वजनिक स्थान के नोटिस बोर्ड पर।

प्रभाराधिकारी अभिलेखागार
जिला एवं सेशन न्यायालय चित्तौड़गढ़

D/C